निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1935 (श0)

(सं0 पटना 144) पटना, मंगलवार, 11 फरवरी 2014

सं० पर्य०यो०के०-21/2011—208

पर्यटन विभाग

संकल्प

21 जनवरी 2014

विषयः- बिहार राज्य के अन्तर्गत बौद्ध स्थलों के उन्नयन एवं सौन्दर्यीकरण के लिये समेकित योजना बनाने के लिये भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम (IFC) एवं बिहार सरकार के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 3(7)-1C दिनांक 15.02.2013 के द्वारा भारत सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो विश्व बैंक का एक अंग है के साथ बौद्ध स्थलों के विकास के लिये एक समेकित योजना के निर्माण हेतु परियोजना प्रस्ताव विकसित करने के लिये एक संयुक्त एकरारनामा करने का अनुरोध किया गया है। एकरारनामा का प्रमुख अंश निम्न प्रकार हैः-

(1) प्रोजेक्ट बनाने तथा उसके कार्यान्वयन की राशि $1 मिलियन (लगभग 5.5 करोड़ रूपये आज की तिथि में एक्सचेंज रेट पर आंकी गयी है) होगी, जिसमें भारत सरकार की ओर से 50%, आई०एफ०सी० की ओर से 40% और बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 5-5% दिया जायेगा। इस प्रकार बिहार सरकार का अंशदान में लगभग 27.5 लाख रूपये की लागत आयेगी। बिहार सरकार को यह राशि एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने की एक महीने के अन्दर प्रदान करनी है।

(2) आई०एफ०सी० विश्व की सबसे बड़ी कन्सल्टेन्सी में से एक है। इस परियोजना के क्षेत्र में उसने विश्व प्रसिद्ध एनका ट्रेल पेरू तथा अन्य परियोजनाओं का विकसित करने में सहायता प्रदान की है। वर्त्तमान में बिहार में बौद्ध सर्किट में इस तरह की गुणवत्ता प्राप्त एजेन्सी की कमी है। इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वन यदि आई०एफ०सी० के माध्यम से कराया जायेगा, तो इसमें काफी लाभ होगा।

(3) प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से आवासन एवं आधारभूत संरचना का विकास तथा छोटे एवं मध्यम पर्यटन उद्योग का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है, साथ ही पर्यटकों की सुविधाओं तथा परिवेश मापदण्डों में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसपर यह प्रोजेक्ट सुझाव देगा तथा इन सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण में भी यह सहायता करेगा।

(4) परियोजना का एक दूसरा मुख्य उद्देश्य मार्केटिंग प्रमोशन स्ट्रैटजी का विकास एवं उसका कार्यान्वयन भी है। बिहार में आज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट स्थलों के होते हुए भी मार्केटिंग तथा प्रमोशन के बिना हमारे यहाँ मात्र दस लाख विदेशी पर्यटक आ रहे है, जो शायद पर्यटक क्षमता का एक प्रतिशत भी नहीं हैं। इसके लिये एक विश्व स्तरीय एजेन्सी को कार्य देकर इसे कराना श्रेयष्कर होगा। प्रस्तावित परियोजना अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन मार्केटिंग प्रमोशन में सहायता करेगी एवं बौद्ध सर्किट के ब्रान्डिंग में सहयोग करेगी। यह पर्यटन संबंधी सेवा क्षेत्र एवं रोजगारों के विकास में भी कार्य करेगी।

(5) बौद्ध स्थलों के उन्नयन सौन्दर्यीकरण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उक्त एकरारनामें पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 05-03-2013 के मद संख्या 7 के रूप में प्रदान की जा चुकी है। उक्त के आलोक में सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा दिनांक 15-05-2013 को एकरारनामें पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। तद्नुसार उपर्यक्त एकरारनामें पर राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर करने संबंधी घटनोंतर स्वीकृति के साथ-साथ बिहार सरकार का अंशदान 5 प्रतिशत की राशि 27.5 लाख रूपये की विमुक्ति कंसल्टेंशी मद से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के विशेष अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बी० प्रधान,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 144-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in